रेत का खेल : रात के अंधेरे में होता है रेत का काला कारोबार

ग्राम पंचायत टिकरी में रेत का अवैध उत्खनन एवं परिवहन धड़ल्ले से शुरू, जिम्मेदार नहीं कर पा रहे कार्रवाई

नवभारत न्यूज

सीधी/मड़वास 11 नवम्बर। रात के अंधेरे में रेत का काला कारोबार ग्राम पंचायत टिकरी में होता है। ग्राम पंचायत टिकरी में रेत का अवैध उत्खनन, परिवहन धड़ल्ले के साथ शुरू है और जिम्मेदार कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।

जिले के मझौली ब्लाक अंतर्गत ग्राम पंचायत टिकरी में रात के अंधेरे में रेत का अवैध उत्खनन एवं परिवहन बेरोक-टोक चल रहा है। रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को लेकर टिकरी सरपंच पर आरोप लग रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सीधी जिले में एक भी रेत खदान अभी चालू नहीं हुई है, बावजूद इसके सैकड़ो गाड़ी रेत का अवैध रूप से स्टाक ग्राम पंचायत टिकरी में कराया गया है। आखिर ग्राम पंचायत टिकरी में रेत का इतना बड़ा भंडार कहां से आया, यह एक बड़ा सवाल है। ग्रामीणों का आरोप है कि जेसीबी मशीन, ट्रैक्टर एवं मिनी ट्रक से रेत का अवैध उत्खनन एवं परिवहन ग्राम पंचायत टिकरी में बेखौफ होकर कराया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच द्वारा जंगल में रेत का बड़ा स्टाक कराया गया है। उनके संरक्षण में ही रेत का अवैध कारोबार ग्राम पंचायत टिकरी में चल रहा है।

विडम्बना यह है कि ग्राम पंचायत टिकरी में रेत के अवैध एवं काले कारोबार को लेकर जहां क्षेत्रीय ग्रामीणों में काफी आक्रोश है वहीं जिम्मेदार प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मूकदर्शक बना हुआ है। टिकरी क्षेत्र में रेत के अवैध कारोबार को लेकर जन-जन को जानकारी है। फिर भी जिम्मेदार विभागीय अमला ग्राम पंचायत टिकरी में आकर कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं समझ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि टिकरी सरपंच को जिम्मेदार प्रशासनिक अमले का खुला संरक्षण मिला हुआ है। इसी वजह से मीडिया को भी धमकाने में पीछे नहीं रहते। ग्राम पंचायत टिकरी में रेत के चल रहे अवैध कारोबार का विरोध कुछ ग्रामीणों द्वारा किया गया। उस पर भी सरपंच द्वारा उनको भी धमकाने का प्रयास किया गया, जिससे रेत का अवैध कारोबार ग्राम पंचायत टिकरी में निर्वाध रूप से चलता रहे और कोई भी ग्रामीण मौके पर आकर विरोध करने का साहस ना जुटा सके। इसके लिये कुछ दलालों को भी लगाया गया है।

इनका कहना है

ग्राम पंचायत टिकरी अंतर्गत पूरी रात रेत का अवैध तरीके से उत्खनन, परिवहन किया जा रहा है। अभी कलेक्टर सीधी द्वारा सीधी जिले की कोई भी खदान संचालित करने के निर्देश नहीं दिये गये हैं। फिर भी ग्राम पंचायत टिकरी के सरपंच अपनी ही गाड़ी लगाकर रेत माफियाओं के साथ रेत का उत्खनन करवा रहे हैं। गोपद नदी, डालापीपर एवं टिकरी में सैकड़ों गाड़िया रेत का भण्डारण किया गया है।

लालदेव सिंह, निवासी टिकरी पूर्व डीएसपी

ग्राम पंचायत टिकरी से पूरी तरह अवैध तरीके से रेत का उत्खनन, परिवहन किया जा रहा है। शिवम द्विवेदी एवं सरपंच की पार्टनरशिप में खुलेआम रेत की निकासी की जा रही है। हम लोगों के द्वारा गाड़ी रोकने पर जान से मारने की धमकी दी जाती है।

मुन्ना केवट, निवासी टिकरी

मुझे पूर्व में जानकारी हुई थी तो मैं खनिज विभाग के साथ जांच कराया था। अभी की जानकारी नहीं मिली है कि रेत का अवैध स्टाक कराया गया है। वहीं रात में बिना खदान खुले रेत का उत्खनन व परिवहन किया जाता है।

भूपेश वैश, थाना प्रभारी मड़वास

उनके क्षेत्र में रेत का अवैध उत्खनन एवं परिवहन नहीं हो रहा है और ना ही भण्डारण हो रहा है। यह अवश्य है कि खनिज विभाग द्वारा कुछ समय पूर्व रेत की जब्ती कर ग्राम पंचायत के सुपुर्द किया गया था। वहीं रेत रखी हुई है।

तिलकराज सिंह, सरपंच ग्राम पंचायत टिकरी

भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर हुए कार्यक्रम

नवभारत न्यूज

सीधी 11 नवम्बर। सहायक संचालक आदिम जाति कल्याण विभाग ने बताया कि शासन द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार 1 से 15 नवम्बर तक जनजातीय समुदाय से जुड़ी सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं जनकल्याणकारी गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

इसी क्रम में सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सीधी के निर्देशन में कन्या शिक्षा परिसर कुसमी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में धौहनी विधायक कुंवर सिंह टेकाम उपस्थित रहे। उनके साथ जिला पंचायत सदस्य हीराबाई सिंह तथा सदीपनी आश्रम विद्यालय के प्राचार्य पी.के.पाण्डेय की गरिमामय उपस्थिति रही।

संत दूसरों की भलाई के लिए दु :ख सहते हैं : मैथिलीशरण

नवभारत न्यूज

सीधी 11 नवम्बर। रोली मेमोरियल सीधी में आयोजित श्रीरामकथा की षष्टम संध्या में कथा को विस्तृत स्वरूप प्रदान करते हुए संत मैथिलीशरण जी ने कहा कि गरुड़ जी ने काकभुशुण्डि जी से अनेक प्रश्न किए जिनके उत्तर में काकभुशुण्डि जी ने गरुड़ जी को बताया कि सबसे दुर्लभ शरीर मनुष्य का शरीर है, जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम है।

सुख-दुख का सही स्वरूप भक्ति से ही जाना जा सकता है। भक्ति प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ का सदुपयोग करने वाले सबसे चतुर व्यक्ति हैं। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं जबकि असंत दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य ईश्वर की भक्ति है जबकि सबसे भयंकर पाप गुरु और संतों की निंदा करना है। काकभुशुण्डि जी गरुड़ जी को 17 प्रकार के मानस रोगों का वर्णन करते हैं जिन्हें भक्ति से ही जीता जा सकता है। सब रोगों की जड़ मोह या अज्ञान है। अज्ञान से विभिन्न शूल उत्पन्न होते हैं। काम वात है, लोभ अपार कफ है और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। यदि कहीं ये तीनों भाई-वात, पित्त और कफ प्रीति कर लें, तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त होनेवाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सब शूल हैं जिनके नाम अपार हैं। आज की कथा में प्रमुख रूप से प्रोफेसर रुद्र प्रताप सिंह चौहान, रुद्र प्रताप सिंह बाबा, ज्ञानेन्द्र द्विवेदी, लल्लाराम पाण्डेय, बृजेन्द्र प्रसाद मिश्र, बुद्धिमान सिंह, बृजेन्द्र सिंह बघेल, बृजेन्द्र सिंह सिंह चौहान, जितेन्द्र तिवारी, योगेन्द्र तिवारी आदि प्रबुद्ध श्रोता उपस्थित रहे।

जल संरक्षण पर आधारित लघु फिल्म पेड़ा हुई प्रदर्शित

द कलाकृति फाउंडेशन और पर्यावरण संरक्षण गतिविधि ने निर्मित की है लघु फिल्म पेड़ा

नवभारत न्यूज

सीधी 11 नवम्बर। द कलाकृति फाउंडेशन और पर्यावरण संरक्षण गतिविधि सीधी द्वारा निर्मित लघु फिल्म पेड़ा को यूसीएन मास पब्लिक स्कूल में प्रदर्शित की गई।

लघु फिल्म पेड़ा को प्रियांशु मिश्रा ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में संगीत योगेश्वर तिवारी, सृजन मिश्रा, संपादन प्रवीण सिंह, छायांकन शिवम नामदेव, मोती जायसवाल और वाइस ओवर युवा कवि हर्ष पाण्डेय द्वारा किया गया है। जल संरक्षण पर आधारित फिल्म पेड़ा के प्रदर्शन पर वरिष्ठ साहित्यकार शिवशंकर मिश्र सरस, कवि बृजेश सिंह सरल, कवि अतुल उपाध्याय, पर्यावरण संरक्षण गतिविधि सीधी सह संयोजक अमित कुमार गौतम स्वतंत्र, लोक कलाकार रोशनी प्रसाद मिश्र, सुभाष गुप्ता, उत्कर्ष गुप्ता, अनिल मिश्रा, पूनम तिवारी, अर्पित त्रिपाठी, स्वराजधर द्विवेदी सहित अन्य लोककलाकार व समाजसेवी उपस्थिति रहे।

छात्रों को कानूनी अधिकारों और जिम्मेदारियों की दी जानकारी

नवभारत न्यूज

सीधी 11 नवम्बर। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रयाग लाल दिनकर के मार्गदर्शन में न्यायोत्सव विधिक सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी द्वारा कार्यक्रम के तीसरे दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर विभिन्न विद्यालयों में विधिक जागरूकता और शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, मौलिक अधिकारों, बाल विवाह निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, बाल श्रम उन्मूलन, सायबर अपराध, सड़क सुरक्षा, नशा मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण जैसे प्रमुख कानूनी विषयों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना रहा। इसके लिए विभिन्न विद्यालयों में वाद-विवाद, निबंध लेखन, चित्रकला और नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इस अवसर पर मुकेश कुमार शिवहरे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी तथा मनीष कौशिक जिला विधिक सहायता अधिकारी ने स्वयं विद्यालयों का भ्रमण कर बच्चों की प्रस्तुतियों का अवलोकन किया।

दोनों अधिकारियों ने पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय, सांदीपनि शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीधी, शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल पनवार, गणेश हायर सेकेण्डरी स्कूल पड़रा और सर्वोदय विद्या मंदिर विद्यालय सहित लगभग 10 विद्यालयों में आयोजित प्रतियोगिताओं का निरीक्षण किया।

सचिव मुकेश कुमार शिवहरे ने बच्चों की रचनात्मकता और विधिक विषयों के प्रति उत्साह की सराहना करते हुए कहा कि विजेता प्रतिभागियों को बाल दिवस के अवसर पर पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश का भविष्य हमारे विद्यार्थी हैं और उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों की सही जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। कानून केवल सजा देने का माध्यम नहीं बल्कि समाज में न्याय, समानता और व्यवस्था बनाए रखने का साधन है। हर विद्यार्थी को चाहिए कि वह विधिक रूप से जागरूक बने। मुकेश कुमार शिवहरे और मनीष कौशिक ने विद्यार्थियों को बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने का समान अवसर प्रदान किया जाता है। आर्थिक या सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों को नि:शुल्क अधिवक्ता, परामर्श, आवेदन लेखन और अपील संबंधी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

कार्यक्रम में डीईओ कार्यालय से आदर्श मिश्रा, विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्य, शिक्षकगण और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। अंत में सभी प्रतिभागियों को न्याय तक पहुंच को सुलभ बनाने, विधिक साक्षरता को जन-जन तक फैलाने और समाज में विधि के शासन को सुदृढ़ करने का संकल्प दिलाया गया।

पेंशन शिविर 14 तक होंगे आयोजित

सीधी 11 नवम्बर। जिला पेंशन अधिकारी ने बताया कि 1 सितम्बर 2019 से 30 नवम्बर 2025 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कुछ पेंशन प्रकरण विभिन्न कारणों से लंबित हैं। इन प्रकरणों में से कई समय-सीमा में कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किए गए या त्रुटिपूर्ण रूप से प्रेषित किए गए हैं, जिसके कारण उनके पेंशन प्राधिकार पत्र समय पर जारी नहीं हो पा रहे हैं। इसी प्रकार 30 नवम्बर 2025 को सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के भी पेंशन प्रकरण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। कलेक्टर द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सभी कार्यालय प्रमुखों को लंबित पेंशन प्रकरणों की सूची प्रेषित की गई है तथा उन्हें निर्धारित समय-सीमा में पेंशन प्रकरण प्रस्तुत कर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला पेंशन अधिकारी ने बताया कि 30 नवम्बर तक सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों एवं पूर्व में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु एक पेंशन शिविर आयोजित किया जा रहा है। यह पेंशन शिविर जिला पेंशन कार्यालय, सीधी में 10 नवम्बर से 14 नवम्बर तक आयोजित किया जाएगा। सभी कार्यालय प्रमुखों को लेख किया गया है कि वे पेंशन शाखा लिपिक के साथ शिविर में उपस्थित होकर लंबित पेंशन प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करें। शिविर का संचालन त्रिवेणी दास कोल सहायक पेंशन अधिकारी जिला पेंशन कार्यालय सीधी द्वारा किया जाएगा।

मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ ने रैली निकालकर सौंपा ज्ञापन

मीडियाकर्मियों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, जिले भर के मीडियाकर्मियों ने निभाई सहभागिता

नवभारत न्यूज

सीधी 11 नवम्बर। प्रदेश के पत्रकारों की समस्याओं के निदान की घोषणा करने के बाद भी मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव के द्वारा की गई घोषणाओं पर अमल न करने पर उनकी घोषणाओं को याद कराने के लिए पूरे प्रदेश भर में मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के द्वारा मुख्यमंत्री म.प्र. शासन के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया।

इसी क्रम में जिला इकाई सीधी की ओर से आज प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम से पत्रकारों की समस्याओं को लेकर 6 सूत्रीय स्मरण पत्र सौंपा गया। सौंपे गए स्मरण पत्र में कहा गया है कि मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के 25वें त्रिवर्षीय और दो दिवसीय मुरैना महाअधिवेशन 2025 में 26 मार्च को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 6 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री को दिया था। मुख्यमंत्री द्वारा मांगों के संबंध में जल्द ही चर्चा कर निराकरण करने का आश्वासन दिया गया था लेकिन अभी तक मांगों के निराकरण का संकेत नहीं मिला। ऐसे में मुख्यमंत्री द्वारा 6 माह पूर्व मुरैना अधिवेशन में की गई उनकी घोषणा का स्मरण पत्र दिलाने हेतु मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव को स्मरण पत्र दिया जाए। निर्णय की प्रत्याशा में प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में आज 11 नवम्बर मंगलवार को एक ही दिन मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टरों को मांग पत्र सौंपा गया ताकि मांगों की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित हो सके। मुख्यमंत्री स्वयं भी पत्रकार रहे हैं और पत्रकारिता से पुराना संबंध रहा है। इस वजह से पत्रकारों की समस्याओं से मुख्यमंत्री भलीभांति परिचित हैं। इसी उम्मीद के साथ प्रदेश भर के पत्रकारों ने 21 सूत्रीय मांगों में से मात्र 6 मांगें ही रखी हैं। जिससे पत्रकारों की सभी मांगें मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकार की जा सके।

सौंपे गए ज्ञापन में ये रही मांगे

मुख्यमंत्री के नाम से सौंपे गए स्मरण पत्र में शामिल मांगों में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू की जाए। भोपाल के मालवीय नगर स्थित पत्रकार भवन की भूमि जिसे कमलनाथ की कांग्रेस सरकार ने पत्रकारों से छीन लिया था उसे वापस की जाए। पत्रकार पेंशन योजना श्रद्धा निधि योजना में अधिमान्यता होने की शर्त हटाई जाए और उसे आजीवन देने का नियम बनाया जाए। मध्य प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में पत्रकार भवन के लिए नि :शुल्क भूमि उपलब्ध कराई जाए। राज्य के पत्रकारों को टोल टैक्स से मुक्त करने की नियत से मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के सदस्यता कार्ड को मान्यता प्रदान की जाए। साथ ही प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल नाकों पर अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को टोल फ्री सुविधा प्रदान की जाए। पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना को नि :शुल्क करके सभी पत्रकारों को इसका लाभ पहुंचाने की योजना घोषित की जाए।

ज्ञापन सौंपने इनकी रही उपस्थिति

स्मरण पत्र ज्ञापन सौंपने के दौरान उपस्थित प्रमुख लोगों में संभागीय अध्यक्ष अखिलेश पाण्डेय, संभागीय महासचिव एवं प्रभारी आदित्य सिंह, जिलाध्यक्ष हरीश मिश्रा, मनोज पाण्डेय, कार्यकारी अध्यक्ष शिवपूजन मिश्रा, महासचिव शरद गौतम, रजनीश वेदांती, अमित सिंह, हरीश द्विवेदी, अजय पाण्डेय, जनार्दन तिवारी, अमित पाण्डेय, प्रवीण तिवारी, हरिश्चंद्र मिश्रा, ललित मिश्रा, संजय पाण्डेय, कुबेर वर्मा, अजय मिश्रा, बृजेश पाण्डेय, अभिमन्यु पाण्डेय, संतोष तिवारी, आदर्श गौतम, सुभाष तिवारी, वीरेंद्र तिवारी, एपी शर्मा, दीपक द्विवेदी, मनोज तिवारी, आरडी द्विवेदी, रामनायक तिवारी, मझौली ब्लॉक इकाई से रामभूषण तिवारी जिला उपाध्यक्ष, अरविन्द सिंह परिहार ब्लॉक अध्यक्ष मझौली, संजय शर्मा, पंकज सिंह सोनू ब्लॉक सचिव मझौली, राम प्रकाश कुशवाहा सचिव, रामेश्वर द्विवेदी सहसचिव ब्लॉक मझौली, राहुल नापित सह सचिव ब्लॉक मझौली, प्रवेश शुक्ला, रवि कुमार पाण्डेय, संजीव गुप्ता, संजय गोस्वामी, निर्भय द्विवेदी, संजय सिंह, रामदयाल पाण्डेय सहित जिले भर के पत्रकार साथी शामिल रहे।

जनसुनवाई में सीईओ जिला पंचायत ने सुनी 110 आवेदकों की समस्याएं

नवभारत न्यूज

सीधी 11 नवम्बर। जिला पंचायत सीधी के सीईओ शैलेन्द्र सिंह सोलंकी ने मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में जिले के दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए 110 आवेदकों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं।

सीईओ ने कहा कि जिन आवेदनों में समय-सीमा निर्धारित है उन्हें विभागीय अधिकारी प्राथमिकता से लेकर तत्काल समाधान सुनिश्चित करें और हितग्राही को सूचना देना अनिवार्य है। उन्होंने निर्देश दिए कि जनसुनवाई में प्राप्त प्रत्येक आवेदन पर संवेदनशीलता एवं जवाबदेही के साथ कार्यवाही की जाए ताकि आम नागरिकों को त्वरित राहत मिल सके। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर प्रियल सिंह सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं सभी उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार और जनपद पंचायतों के सीईओ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिला स्तरीय जनसुनवाई से जुड़े रहे।

...अंतत : शुरू हो गया मझौली बाइपास सड़क का निर्माण कार्य

धौंहनी विधायक के निर्देश एवं नगर पंचायत अध्यक्ष की पहल पर ईई पीडब्ल्यूडी ने मौके पर उपस्थित होकर शुरू कराया कार्य

नवभारत फाओअप नवभारत

नवभारत न्यूज

मझौली 11 नवम्बर। मझौली बायपास सड़क का निर्माण कार्य अंतत: आज शुरु हो गया। धौंहनी विधायक के निर्देश एवं नगर पंचायत अध्यक्ष की पहल पर ईई पीडब्ल्यूडी ने मौके पर उपस्थित होकर कार्य शुरु कराया।

बताते चलें कि नगर परिषद मझौली के बायपास का निर्माण कार्य 3 वर्ष के ज्यादा समय के बाद भी शुरू ना हो पाने को लेकर धौंहनी विधायक कुंवर सिंह टेकाम ने विधानसभा में प्रश्न लगाया है। नगर पंचायत मझौली के नवनियुक्त अध्यक्ष लवकेश सिंह द्वारा धौंहनी विधायक का इस मामले में ध्यान आकृष्ट कराया गया था। नगर परिषद मझौली में बायपास मार्ग का निर्माण कार्य वर्ष 2022-23 से ठेकेदार द्वारा शुरू किया गया है। लेकिन निर्माण कार्य में मौके पर कोई प्रगति सामने नहीं आ रही थी। जिसको लेकर मझौली वासियों में काफी आक्रोश व्याप्त था। बरसात के दिनों में तो निर्माणाधीन बायपास में केवल मिट्टीकरण का कार्य होने से वाहनों की आवाजाही में भारी दिक्कतें सामने आती थीं। करीब डेढ़ किलोमीटर लम्बाई की सड़क का निर्माण कार्य 3 वर्ष बाद भी शुरू ना होने के पीछे विभागीय कमियां भी जिम्मेदार रहीं हैं। मझौली बायपास मार्ग के चौड़ीकरण के साथ निर्माण कार्य में सबसे बड़ी बाधा करीब 200 मीटर क्षेत्र में भू अर्जन का कार्य अपूर्ण होना भी रहा है। धौंहनी विधायक के विधानसभा में प्रश्न लगाने एवं नगर परिषद के नवनियुक्त अध्यक्ष लवकेश सिंह के बायपास मार्ग को लेकर सक्रियता प्रदर्शित करने के कारण आज पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री एम.के.परते को स्वयं मौके पर आकर कार्य शुरू कराना पड़ा। उनकी मौजूदगी में ही सड़क के निर्मा के लिये बोल्डरों को गिराना शुरू किया गया, जिससे सड़क का निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू हो सके। इस दौरान नगर परिषद मझौली के नवनियुक्त अध्यक्ष लवकेश सिंह, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। विभागीय अधिकारियों ने जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूर्ण कराने का आश्वासन दिया।

इनका कहना है

मझौली बायपास मार्ग का निर्माण कार्य शुरू कराने के लिये मौके पर उनके आने की मुख्य मंशा यह है कि निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूर्ण हो और लोगों की आवागमन की समस्या दूर हो। भू-अर्जन के कुछ मामले अभी आगे लंबित हैं उनका निराकरण भी करा दिया जायेगा। जनवरी 2026 तक बायपास सड़क के निर्माण कार्य को पूर्ण करा दिया जायेगा।

एम .के .परते, कार्यपालन यंत्री, पीडब्ल्यूडी सीधी